छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

पंचम विधान सभा दशम् सत्र अंक-10

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 मार्च, 2021

(फाल्गुन 14, शक संवत् 1942)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 02, 04, 06 से 09 एवं 11 से 19 (कुल 15) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 7 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री अरुण वोरा के स्थान पर श्री मोहन मरकाम, सदस्य अधिकृत रहे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1, 3, 5 एवं 10 के प्रश्नकर्ता सदस्य क्रमश: श्री गुलाब कमरो, डॉ. रमन सिंह, सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल एवं संतराम नेताम अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 37 तारांकित एवं 55 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 19 पर चर्चा के दौरान श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।

3.सभापति तालिका की घोषणा

मानननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया :-

(1) श्री बघेल लखेश्वर

(2) श्री धर्मजीत सिंह

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्रीमती अनिला भेंडिया, समाज कल्याण मंत्री ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016) की धारा 83 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार राज्य आयुक्त, दिव्यांगजन, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 **पटल पर रखा ।**

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

5. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त होने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की ।

माननीय सभापति ने स्थगन प्रस्ताव को अग्राहय करने की घोषणा की ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये ।)

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 12.20 बजे स्थगित की जाकर 12.26 बजे समवेत हुई ।)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

6. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) सर्वश्री शिवरतन शर्मा, रजनीश कुमार सिंह, नारायण चंदेल सदस्य ने उप संचालक कार्यालय कृषि, बलौदाबाजार में शासन की विभिन्न योजना में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सदन से बाहर गये ।)

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य ने रायपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बीएसयूपी आवासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

7. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण प्रस्तुत नहीं हुई ।

8. वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर मतदान

(1) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य विधान मण्डल से संबंधित मांग संख्या-28, कृषि से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या-16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-54, जल संसाधन विभाग से संबंधित मांग संख्या-23, लघु सिंचाई निर्माण कार्य से संबंधित मांग संख्या-45, जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-75 एवं जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाओं से संबंधित मांग संख्या-57 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-14 पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, **मांग संख्या-23 पर** श्री प्रमोद कुमार शर्मा, एवं **मांग संख्या-45** पर श्री प्रमोद कुमार शर्मा, के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए ।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई ।

श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री प्रकाश शक्राजीत नायक, शैलेष पाण्डेय,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री धर्मजीत सिंह, श्रीमती ममता चन्द्राकर

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

श्री रामकुमार यादव, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, आशीष कुमार छाबड़ा,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए।)

श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

9. पृच्छा

सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा सदस्यों ने कथन किया कि नियम है कि अंतिम ढाई घंटे अशासकीय काम होना चाहिये अत: अशासकीय संकल्प पर चर्चा प्रारंभ करायी जाए ।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से घोषणा की कि आज की कार्यसूची के पदक्रम 4 की कार्यवाही पूर्ण होने के बाद अशासकीय संकल्प का कार्य लिया जायेगा ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य ने पुन: कथन किया कि नियमानुसार अंतिम ढाई घंटे अशासकीय कार्य होना चाहिये ।

(निरंतर व्यवधान होने के कारण सदन की कार्यवाही 3.06 बजे स्थगित की जाकर 3.30 बजे समवेत हुई ।)

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए।)

10. बहिर्गमन

श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्‍वारा सदन से बहिर्गमन किया गया ।

11. वर्ष 2021-2022 की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन से संबंधित मांग संख्या-29, परिवहन से संबंधित मांग संख्या-36, आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-21 एवं वन से संबंधित मांग संख्या-10 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री अमरजीत भगत संस्कृति मंत्री ने खाद्‍य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-39, संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-26, एवं योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या-31 प्रस्तुत की ।

कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं हुये ।

मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि आज की कार्यसूची में दर्ज अशासकीय संकल्प आगामी शुक्रवार को लिये जायेंगे ।

अपराह्न 03.41 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 (फाल्गुन 17, शक संवत् 1942) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा